रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 1989/ श्रावण 13, 1911
No. 409] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 1989/SRAVANA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1989

अधिसूचनाएं

सा.का.नि. 739 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 31) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 4 अगस्त, 1989 को एतद्द्वारा ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको धारा 4(ग) (के) जहां तक यह कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों की अर्हताओं तथा अनुभव के निर्धारण से सम्बन्धित है) उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/19/87-सी.एल.-5]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th August, 1989

G.S.R. 739(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 1988 (31 of 1988), the Central Government hereby appoints the 4th day of August, 1989, as the date on which the provisions of section 4(c) (in so far as it relates to prescription of qualifications and experience of the members of the Company Law Board) shall come into force.

[File No. 1|19|87-CL.V]

सा.का.नि. 740(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्य (अर्हताएं और अनुभव) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से कंपनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "कंपनी विधि बोर्ड से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ङ की उपधारा (1) के अधीन गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "कंपनी विधि सेवा" से केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा नियम, 1965 के नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से कंपनी विधि बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है।

3. सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और आयुसीमा.—(1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(i) कंपनी विधि सेवा का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अतिकाल श्रेणी या चयन श्रेणी में पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था और जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव की श्रेणी में रिक्त पद पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हो; या

(ii) केन्द्रीय कर्मचारिवृन्द स्कीम के अधीन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र न हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो और वाणिज्य उद्योग, अर्थशास्त्र, कारबार या विधि से संबंधित समस्याओं के निपटान के संबंध में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो; या

(iii) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; या

(iv) किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो या कुल 10 वर्ष की अवधि में कोई न्यायिक पद को धारित न कर चुका हो और भागतः अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसायी न रह चुका हो; या

(v) कम से कम 15 वर्ष तक—

(क) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउन्टेंट के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(ख) लागत और संकर्म अकाउन्टेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(vi) कम से कम 15 वर्ष कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (45क) में यथापरिभाषित पूर्ण कालिक व्यवसाय करने वाले सचिव के रूप में और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने का अनुभव न रखता हो।

(2) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने पैंतालीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

4. कंपनी विधि बोर्ड की संरचना.—(1) यथाशक्य निकटतम रूप से सदस्यों में से आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों:

परन्तु, उस रिक्ति की बाबत जो कंपनी विधि सेवा के किसी सदस्य द्वारा भरी जानी है, जहां ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है या उपयुक्त नहीं पाया जाता है, वहां, रिक्ति अन्य स्रोतों से चयन द्वारा भरी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियक्त कर सकेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाला अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत सरकार के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र है या जो कम से कम तीन वर्ष तक सदस्य का पद धारण कर चुका है।

5. भर्ती की पद्धति : (1) एक चयन बोर्ड होगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा।

(i) सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय कम्पनी कार्य विभाग

(ii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग,

(iii) कंपनी कार्य विभाग के भारसाधक मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट भारत सरकार का कोई सचिव, और

(iv) अध्यक्ष, यदि पद पर हो, और उसकी पुनःनियुक्ति पर विचार नहीं किया जा रहा हो।

(2) सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग, चयन बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) चयन बोर्ड, सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश विज्ञापन द्वारा उसके लिए आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् उन व्यक्तियों में से करेगा, जो कंपनी कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई पात्र अभ्यर्थियों की सूची में है।

(4) केन्द्रीय सरकार, चयन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकार सिफारिश की गई नाम सूची में से व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। फिर भी केन्द्रीय सरकार नामसूची में से किसी या सभी नामों को अस्वीकृत कर सकेगी।

(5) इस नियम की कोई बात कंपनी विधि बोर्ड के किसी ऐसे सदस्य की नियुक्ति को लागू नहीं होगी जो इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, यदि वह इन नियमों के अनुसार ऐसी नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र है।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी चिकित्सीय बोर्ड द्वारा चिकित्सक दृष्टया योग्य घोषित न कर दिया हो, यदि उसे किसी समतुल्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही योग्य घोषित न कर दिया गया हो।

7. सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—कोई सदस्य, किसी भी समय लिखित में अपने हस्ताक्षर से केन्द्रीय सरकार को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु यह कि, सदस्य जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही पद त्यागने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो या ऐसी सूचना प्राप्ति से तीन मास की अवधि समाप्त न होने तक या ऐसे किसी व्यक्ति के उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त हुआ है अपने पद पर न आने तक या अपने पद की अवधि समाप्त न होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।

8. कुछ परिस्थितियों में सदस्य का पद से हटाया जाना.—केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी। जो,

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया है, या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जा चुका है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है,

या

(घ) ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर चुका है जिनसे उसके सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(ङ) अपने पद का इतना दुरुपयोग कर चुका है कि उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

9. सदस्यों के पदों में आकस्मिक रिक्त स्थान :--नियम 7 और नियम 8 के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य के त्यागपत्र या पद से हटाए जाने से हुई आकस्मिक रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

10. सदस्यों के पद की अवधि :--कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से एक समय में पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वह :--

(क) बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता; और

(ख) यदि वह अध्यक्ष है तो साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।

11. वेतन और भत्ते :--(1) अध्यक्ष को 7300-100-7600- के वेतनमान में वेतन का संदाय किया जाएगा।

(2) सदस्य को 5900-200-6700 रु. के वेतनमान में वेतन का संदाय किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्य वे भत्ते लेने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्य है।

12. निर्वचन :--यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

13. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए किए गए आरक्षण आयु सीमा में दी जाने वाली छूट और उन्हें दी जाने वाली अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

14. पद और गोपनीयता की शपथ :--अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद संभालने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप I और प्ररूप II में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

15. सेवा की अन्य शर्तें :--किसी सदस्य की सेवा की वे शर्तें जिनकी बाबत इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है वैसी होंगी जैसी कि उस समय केन्द्रीय सरकार के समतुल्य हैसियत के अन्य कर्मचारियों को लागू हैं।

प्ररूप I

(नियम 14 देखिए)

कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद का प्ररूप

"मैं अमुक, जो कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ है, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करूंगा।

प्ररूप -II

(नियम 14 देखिए)

कम्पनी विधि बोर्ड अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद और गोपनीयता का प्ररूप

"मैं, अमुक जो कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

[फा. सं 1/19/87-सी.एल.-5]
सी. आर. सुन्दरराजन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 740(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E read with cluase (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the folowing rules, namely,—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board Members (Qualifications and Experience) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Chairman" means Chairman of the Company Law Board;

(b) "Company Law Board" means the Board of Company Law Administration constituted under sub-section (1) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "Company Law Service" means the Central Company Law Service constituted under rule 3 of the Central Company Law Service Rules, 1965;

(d) "Member" means a member of the Company Law Board and includes the Chairman

3. Qualifications and age limit for appointment of Members.—(1) A person shall not be qualified for appointment as a member unless he —

(i) is, or has been, a member of the Company Law Service and is holding, or has held, a post in super-time grade or selection grade in that service and is eligible to be appointed to a post in the grade of Joint Secretary to the Government of India; or

(ii) is, eligible to be appointed as a Joint Secretary to the Government of India under the Central Staffing Scheme, or to any other post under the Central Government carrying a scale of pay which is not less than that of Joint Secretary to the Government of India, and has adequate knowledge of, and experience in dealing with the problems relating to commerce, industry, economics, taxation or law; or

(iii) has, for at least 10 years, held a judicial office in the territory of India; or

(iv) has for at least ten years, been an advocate of a High Court; or has partly held a judicial office and has been partly in practice as an advocate for a total period of ten years; or

(v) is, or has been, for at least fifteen years in practice, as a—

(a) Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(b) Cost Accountant under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);

(vi) has, for at least fifteen years, working experience as a Secretary in whole time practice as defined in clause (45A) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and is a member of the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

(2) A person shall not be eligible for appointment as member unless he has completed the age of forty-five years.

4. Composition of the Company Law Board.— (1) As nearly as may be, one-half of the Members shall by person possessing qualifications as specified in clause (i) of sub-rule (1) of rule (3) :

Provided that in respect of a vacancy which is to be filled by a member of the Company Law service, where either no such person is eligible or found suitable for appointment, the vacancy shall be filled in by selection from other sources

(2) The Central Government shall appoint one of the members to be the Chairman.

(3) The Chairman, to be appointed under sub-rule (2), shall be a person who is eligible to be appointed as an Additional Secretary to the Government of India; or who has at least for three years held office of the member.

5. Method of recruitment.—(1) There shall be a Selection Board consisting of —

(i) The Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Company Affairs;

(ii) The Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs;

(iii) Any Secretary to the Government of India, nominated by the Minister incharge of the Department of Company Affairs; and

(iv) The Chairman, if in Office and he is not being considered for re-appointment.

(2) The Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Company Affairs shall be the Chairman of the Selection Board.

(3) The Selection Board shall recommend persons for appointment as members from amongst the persons on the list of eligible candidates prepared by the Department of Company Affairs after inviting applications therefor by advertisement.

(4) The Central Government shall, after taking into consideration the recommendations of the Selection Board, appoint persons out of the panel so recommended. However, it shall be open to the Central Government to reject any or all the names on the panel.

(5) Nothing in this rule shall apply to the appointment of any member of the Company Law Board functioning as such immediately before commencement of these rules, in case he is otherwise eligible for such appointment as per these rules.

6. Medical Fitness.—No person shall be appointed as member unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose, unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

7. Resignation by a member.—A member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office whichever is earliest.

8. Removal of members from office in certain circumstances.—The Central Government may remove from office any member, who —

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

9. Casual vacancy in the office of members.—A casual vacancy caused by the resignation or removal of the Chairman or any other member of the Board under rules 7 and 8 shall be filled by fresh appointment.

10. Term of office of members.—Every member shall hold office for a term of five years at a time from the date of his assumption of office or until he attains,—

(a) the age of fifty-eight years; and

(b) if he is the Chairman, the age of sixty years, whichever is earlier.

11. Salary and allowances.—(1) The Chairman shall be paid salary in the scale of Rs. 7300-100-7600.

(2) A member shall be paid a salary in the scale of Rs. 5900-200-6700.

(3) The Chairman and members shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government Officer of the first grade.

12. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Central Government for its decision.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Schedule Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Oaths of office and secrecy.—Every person appointed to be Chairman or a member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

15. Other Conditions of Service.—The conditions of service of a member in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may for the time being be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

FORM I

(See Rule 14)

Form of oath of Office for Chairman|member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman|member of the Company Law Board do solemnly affirm|do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairman|member to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will."

FORM II

(See rule 14)

Form of oath of secrecy for Chairman|member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman|member of the Company Law Board, do solemnly affirm|do swear in the name of God that I will not directly or indirectly comunicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman|member of the said Company Law Board except as may be required for the due discharge of my duties as Chairman|Member."

[File No. 1|19|87 C.L. V.]
C. R. SUNDARARAJAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

2186 GI/89—2